बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सिविल अपील संख्या- 213/2013 के लिए दिनांक- 26 अक्टूबर, 2016 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-141 के संदर्भ में 'समान कार्य एवं दायित्व हेतु समान वेतन' का फैसला पारित किया गया है।

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में शिक्षा जैसे अति-महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक जैसे पाठ्यक्रम के शिक्षण-कार्य करने/ कराने वाले सभी कोटि के शिक्षकों को मूल नियमित शिक्षकों के सदृश वेतन अविलंब लागू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह./- संजीव कुमार सिंह, स.वि.प.
2. ह./- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प. एवं
3. ह./- केदार नाथ पाण्डेय, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 20/2017 - 223 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 09.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 09.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

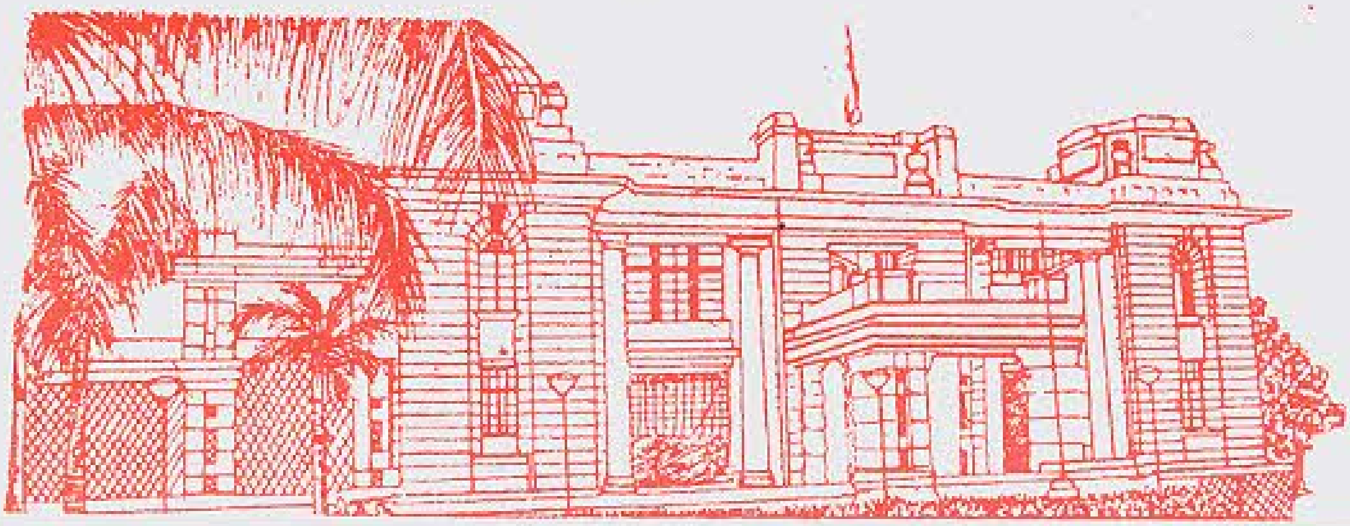

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत बसैठ पंचायत के भतरहरी गांव के लोग लगभग 40 वर्षों से सड़क निर्माण का गुहार लगाते आ रहे हैं। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण आज तक उक्त पंचायत के लोग सड़क विहीन जीवन यापन कर रहे हैं। उक्त गांव की अपनी आबादी 6,000 (छः हजार) से अधिक है। जिसके अंतर्गत महादलित वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। विदित हो कि राज्य सरकार के सात निश्चय योजना अंतर्गत टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत भी इस क्षेत्र का सर्वे नहीं होना विभागीय उदासीनता को उजागर करता है। गांव के अंतर्गत महादलित टोला से देव मंदिर होते हुए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ग्रामीण बसैठ चौक से रोजमर्रा का सामान लेने आते हैं।

अतः मैं सरकार से ग्रामीणों की असुविधा को देखते हुए बसैठ पंचायत अंतर्गत भतरहरी गांव के महादलित टोला से देव मंदिर होते हुए बसैठ चौक तक सड़क निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुमन कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 22/2016 - 225 (1) / वि.प.। पटना, दिनांकः 09.02.2017

प्रतिलिपिः- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला में बख्तियारपुर से अलग सालिमपुर थाना का निर्माण जनवरी, 2013 में ही किया गया है। थाना का कार्य अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालिमपुर के भवन में चल रहा है। स्थानीय नागरिकों को चिकित्सा सुविधा में परेशानी होती है। थाना को अपना भवन निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को दिनांक- 18.06.2015 को ही एक एकड़ जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति दी जा चुकी है। तत्पश्चात् अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर द्वारा जमीन का सीमांकन करते हुए थानाध्यक्ष सालिमपुर को दखल कब्जा सौंप दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देशानुसार दिनांक- 03.08.2015 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पुलिस भवन निर्माण निगम को प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का आदेश दिया जा चुका है तथा गृह आरक्षी विभाग बिहार सरकार द्वारा दिनांक- 31.05.2016 के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को दिनांक- 09.06.2016 को ही प्राक्कलन सहित डी.पी.आर. समर्पित किया जा चुका है लेकिन लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक थाना भवन का निर्माण कार्य लंबित है।

अतः सालमिपुर में थाना भवन निर्माण कराने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नीरज कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 23/2016 - 226 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 09.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

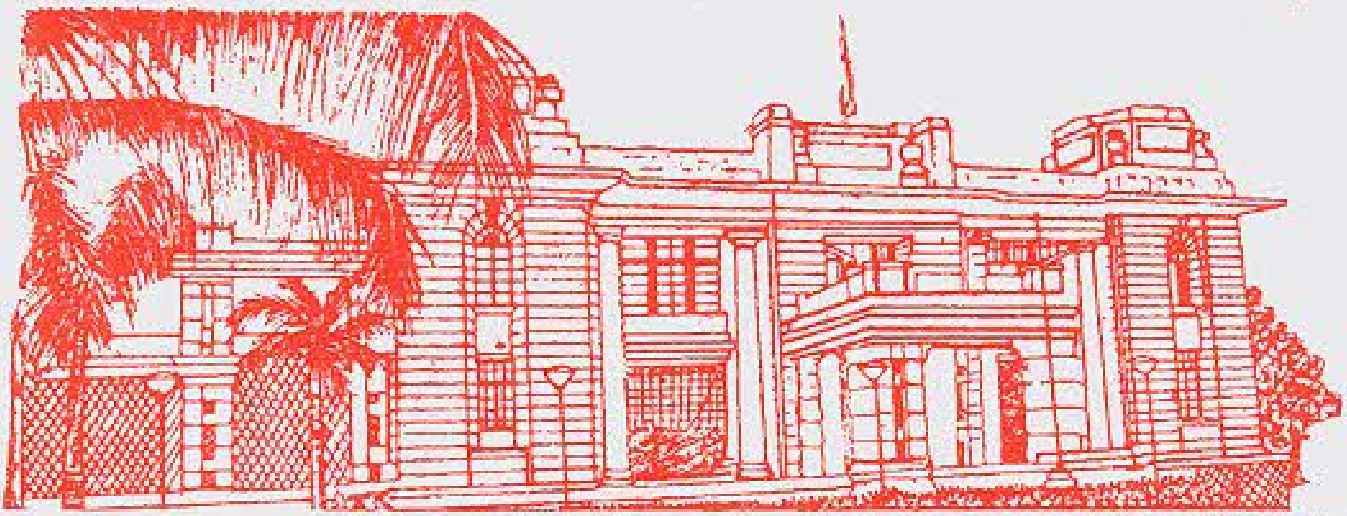

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि, राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज कि स्थापना की जाएगी। गोपालगंज जिला में जय प्रकाश विश्वविद्यालय के चार अंगीभूत डिग्री कॉलेज हैं। क्रमश: कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज, महिला महाविद्यालय गोपालगंज, भोला प्रसाद महाविद्यालय, भोरे हैं। उपरोक्त सभी महाविद्यालयों में शिक्षक से लेकर शिक्षकेत्तर कर्मचारी, भवन, विद्युत, कॉमनरूम, पुस्तकालय सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। कुछ महाविद्यालयों में सरकार द्वारा कम्प्यूटर भी उपलब्ध करा दिया है लेकिन उन कम्प्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। प्रत्येक वर्ष इन महाविद्यालयों में कई हजार छात्र-छात्राओं का नामांकन होता है लेकिन इनके अध्ययन हेतु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हे जिनसे व्यापक स्तर पर इन छात्र-छात्राओं का सुनहरा भविष्य अग्रसारित हो सके। अत: नए कॉलेजों के स्थापना के साथ पुराने सभी कॉलेजों में उपरोक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर सकें।

अत: उपर्युक्त विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य कि मांग करता हूं।

ह./- आदित्य नारायण पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 21/2016 - 224 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 09.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पूर्वी चम्पारण में अनुकम्पा के आधार पर चौकिदारों के आश्रित (नामित) को नियुक्त करने हेतु बिहार सरकार के उप सचिव के ज्ञापांक- 1/चौ. 90-31/2014 ग्रा.आ. 335/पटना दिनांक- 6 जनवरी, 2016 के आलोक में 1. धर्मेन्द्र यादव पे. स्व. हरीदवेन राय 2. संजय कुमार यादव पे. विभिसन राय, थाना- कल्याणपुर 3. रंजी कुमार पे. स्व. यादोलाल राय, थाना- डुमरिया घाट 4. रामकिशोर प्रसाद पे. स्व. कैलाश कुर्मी थाना-आदापुर 5. राजेश पासवान पे. स्व. शिवचरण हजरा थाना' हरसिद्धि 6. भरत कुमार पासवान पे. स्व. किशुन, थाना- आदापुर एवं अन्य के आवेदन पत्रों की जांच सभी स्तर पर कार्यवाई कर समाहरणालय जिला सामान्य शाखा मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण में लगभग सालभर से रखा गया है एवं आजकल नियुक्त करने कि बात कर तंग किया जा रहा है। जिसके कारण मृत चौकीदारों के परिजनों को भुखमरी का सामना करना पड रहा है।

अत: चौकीदारों के आश्रित (नामितों) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने एवं जाच पूरी होने के बावजूद जिन पदाधिकारियों द्वारा ह्रास किया गया, को दंडित करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य कि मांग करता हूं।

ह./- सतीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.ध्र.प्र.- 24/2016 - 227 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 09.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।